(130)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
खण्डपीठ रीवा (म.प्र.)

कोर्ट फी 10रु. Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
कोर्ट फी 10रु. Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

Rs.20/-

ओंकार प्रसाद ब्रा. तनय स्व. कृष्ण प्रसाद ब्रा. उम्र 50 वर्ष पेशा– खेती, पुरोहित निवासी ग्राम धतुई तहसील अमरपाटन, जिला सतना (म.प्र.)
वर्तमान पता - सोहलनगर वर्धा महाराष्ट्र

.... निगरानीकर्ता/आवेदक

R 5174-III/15

बनाम

कौशल प्रसाद ब्रा. तनय स्व. भारत प्रसाद ब्रा. उम्र लगभग 55 वर्ष, पेशा– नौकरी एवं खेती, ग्राम धतुई तहसील अमरपाटन, जिला सतना (म.प्र.)

.... गैरनिगरानीकर्ता /अनावेदक

श्री हरिकृष्ण मिश्रा .... एड
द्वारा आज दिनांक 19-11-15 को
प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 24.08.2015 जो अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 151/निगरानी/11–12 में पारित किया गया।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा. संहिता 1959

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :–

यह कि गैरनिगरानीकर्ता कौशल प्रसाद द्वारा निगरानीकर्ता के स्वत्व एवं कब्जे दखल की आराजी नं. 14/2 रकवा 0.47 एकड़ स्थित धतुई तहसील अमरपाटन जिला सतना (म.प्र.) का नामांतरण गलत एवं अवैधानिक तरीके से अपने नाम करा लिया गया था। जिसकी जानकारी होने पर निगरानीकर्ता ओंकार प्रसाद ने एस.डी.ओ. अमरपाटन के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी, जो अपील एस.डी.ओ साहब ने दिनांक 21.11.2011 को स्वीकार करते हुए प्रकरण विधिवत सुनवाई के लिए नायब तहसीलदार वृत्त ताला तहसील अमरपाटन के न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया था। एस.डी.ओ. साहब के उक्त आदेश के

19/11/15

ओंकार प्रसाद मिश्र

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0**R**.5174–**II**/15 जिला–सतना

ओंकार प्रसाद/कौशल प्रसाद

(1)	(2)	(3)
14.03.18	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	